

28/7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त
उपरोक्त वकील अपीलान्त ने धारा 177
के मोर्चे की प्रति पेश की, जो
शामिल मिलान की गई। मोर्चे अनुसार
मूल प्रकरण का निस्तारण हो चुका है।
अतः यह प्रकरण चलने योग्य नहीं
होने से खारिज ठिथा जाता है। पत्रावली
मिलान नुसार दोउर मम्बर से ठम है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

चेकड मेजा ममा
151
10/2/23